अध्याय – 1

कृषि सांख्यिकी(क्षेत्रफल) संग्रह

1. **कृषि वर्ष**– कृषि–वर्ष जुलाई से जून तक माना जाता है। फसल के अनुसार कृषि वर्ष चार मौसम में बांटा गया है:–
भदई, अगहनी, रब्बी तथा गरमा मौसम।

मौसम की अवधि निम्नांकित है:–

क्र०सं०	मौसम	मौसम की अवधि
1	भदई	1 जुलाई से 15 सितम्बर तक
2	अगहनी	16 सितम्बर से 30 नवम्बर तक
3	रब्बी	1 दिसम्बर से 31 मार्च तक
4	गरमा	1 अप्रैल से 30 जून तक

2.खेसरा पंजी– राज्य के कितने क्षेत्र में कौन सी फसल उपजाई जाती है इसके लिये प्रत्येक प्लॉट का परिभ्रमण कर पंजी में प्रविष्टि किया जाता है जिसे खेसरा पंजी कहते है।

प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये प्रत्येक राजस्व गांव का खेसरा पंजी जून में तैयार करते है तथा गत कृषि वर्ष के खेसरा पंजी से खेसरा संख्या एवं उसका भौगोलिक क्षेत्रफल नोट कर लिया जाता है।

यह 30 स्तम्भ का होता है तथा प्रत्येक पन्ना में 25 खेसरा की जानकारी एकत्र की जाती सकती है। खेसरा पंजी के प्रथम पृष्ठ पर राजस्व गांव का परिचायात्मक विवरण अंकित किया जाता है तथा प्रथम पृष्ठ के शीर्ष भाग में शीर्षक चिपका दिया जाता है।

3. फसल:–बिहार राज्य में जिस मौसम में जिन फसलों की बुआई एवं कटनी होती है, सामान्यत: उन्हें उसी मौसम का फसल माना जाता है। परन्तु ईख एवं अरहर फसल इस नियम के अपवाद है। ईख को भदई मौसम तथा अरहर को रब्बी मौसम का फसल माना जाता है।

3.1 भदई फसल:– घान(सारो और साठी) मकई, ईख, बोरो घाघरा, उरद, मूंग बरई, कोदो, मडुआ, कौनी, चीना, जूट, सनई, मेस्ता, कुंदरूम, तिल, सूरजमुखी, शंकरकन्द, गाजर, जनेरा आदि।

3.2 अगहनी फसल:– अगहनी कतिका और बासमती घान, मूंग, कुरथी, उरद, बरई, घाघरा (बोदी) ज्वार, बाजरा, कोदो, जनेरा, कपास, सुरगुजा, तिल, सूरजमुखी, मूँगफली, आलू, टमाटर, बैगन, साग, भिंडी, गोभी, नेनुआ, लौका, सुथनी, शकरकन्द गाजर आदि।

3.3 रब्बी फसल :- गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, खेसारी, अरहर, तीसी, तिल, राई, सरसो, रेंड़ी, कुसुम, सूरजमुखी, लालमिर्च, हल्दी, अदरख, लहसून, घनिया, आलू, प्याज, बैगन, टमाटर, साग, भिन्डी, नेनुआ, लौकी, गोभी, करैला, कपास, तम्बाकू, शकरकंद, गाजर, चाय, चारा, ।

3.4 गरमा फसल - गरमाघान, मकई, मूंग, साग, भिन्डी, कददू, परवल, टमाटर, खरबुजा, ककड़ी, तरबूजा, गाजर, आम, कटहल, अमरूद, लीची, केला, गाजर, पान, भाँग, सूरजमुखी आदि।

4. फसलों के क्षेत्रफल के आंकड़े एकत्र करने के लिये निन्नांकित सामग्री आवश्यक है:-

1. ग्राम का नक्शा, 2. खेसरा पंजी, 3. गुनियां, एवं 4.डायरी आदि।

5. <u>फसल सर्वेक्षण के लिये ग्राम नक्शा की जानकारी आवश्यक है:-</u>

ग्राम नक्शा के बायीं ओर गांव का परिचायात्मक विवरण अंकित रहता है। नक्शा का ऊपरी-भाग उत्तर दिशा, निचला-भाग दक्षिण-दिशा, दाहिना-भाग पूरब दिशा एवं बायां-भाग पश्चिम दिशा का द्योतक है।

सर्वप्रथम नक्शा के आधार पर गांव की चौहद्दी का पता करना चाहिए फिर प्रमुख भू चिन्हों यथा-सड़क, बगीचा, तालाब, नहर, पुराने पेड़ की सहायता एवं गांव के पुराने अनुभवी एवं जानकार लोगों की सहायता से प्लॉटों की पहचान कर उत्तर पश्चिम कोने से सर्वेक्षण प्रारंभ कर प्रत्येक प्लॉट में बोयी गयी फसल/गैर फसल के संबंध में सूचना एकत्र करते है जो गाँव के दक्षिण पूर्व में समाप्त होता है। ***प्रत्येक गांव में कुछ जानकार लोग होते है जिन्हें गांव के प्लॉटों की जानकारी होती है। उनसे सर्वेक्षण कार्य में सहायता लिया जाना चाहिए।***

यदि एक मौसम की दो फसलों की मिली जुली बुआई की गयी हो तो सामान्यता प्रत्येक फसल के लिए बीज की दर/फसल पैदावार की स्थिति के आधार पर अलग-अलग क्षेत्र अंकित किया जाता है।यदि अलग-अलग मौसम का फसल हो तो पूरे क्षेत्र में दोनों मौसम में बोये गये फसल की प्रविष्टि की जाती है।

5.1 सर्वे - जमीन के किसी हिस्से को नाप कर किसी पैमाने पर नक्शा तैयार करने को सर्वे कहते है।

कैडेस्ट्रल सर्वे- इसमें सर्वे जमीन की सही रूप से पैमाइस कर 16 इंच = 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया है। जहाँ आबादी घनी थी वहाँ 32 इंच =1 मील या 64 इंच = 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया है।

5.2 लम्बाई और क्षेत्रफल की इकाइयाँ-

12 इंच = 1 फुट
3 फुट = 1 गज
5.5 गज = 1 पोल
40 पोल = 1 फर्लांग
8 फर्लांग = 1 मील
7.92 इंच = 1 कड़ी
100 कड़ी = 1 गंटर चेन (66फीट) = 1 ज़रीब
1000 वर्ग कड़ी = 1 डिसमल
100 डिसमल = 1 एकड़
4840 वर्ग गज= 1 एकड़
640 एकड़ = 1 वर्गमील

5.3 5.5 हाथ की लग्गी से बीघा, कट्ठा एवं धूर की तालिका

डिसमल –	बीघा –	कट्ठा –	धूर
1	x	x	6
2	x	x	13
3	x	x	19
4	x	1	6
5	x	1	12
6	x	1	18
7	x	2	5
8	x	2	11
9	x	2	18
10	x	3	4
20	x	6	8
30	x	9	12
40	x	12	16
50	x	16	x

100 डिसमल या 1 एकड़ = 1 बीघा 12 कट्ठा

5.4 ज़रीब –जमीन नापने वाली जंजीर का नाम जरीब है जिसमें 100 कड़िया होती है जो छल्लों द्वारा आपस में जुड़ी होती है।

5.5 गुनिया – गुनिया दो इंच लम्बी आधी इंच चौड़ी हाथी दांत अथवा कचकड़ा की बनी होती है। यह **16 इंच = 1 मील** के पैमाने पर 10 ज़रीब के बराबर होता है। गुनिया के मध्य में एक रेखा होता है जो गुनिया को दो भागों में समद्विभाजित करती है यहाँ पर 0 लिखा रहता है। इसके दोनेा ओर दो ज़रीब पर दो तथा चार ज़रीब पर चार

लिखा रहता है इस प्रकार गुनिया को दस भागों में बांटा गया है प्रत्येक भाग एक एक जरीब के बराबर होता है प्रत्येक जरीब में छोटे छोटे 5 भाग रहते हैं तथा प्रत्येक भाग 20 कड़ी के बराबर रहता है इसे गंटरी गुनिया कहते है।

यदि एक ही खेत के विभिन्न भागों में दूसरी–दूसरी फसल लगी रहती है तो हरेक भाग की लम्बाई और चौड़ाई नापी जाती है और नीचे दिये गये तरीके से उसका क्षेत्रफल एकड़ और डिसमिल में निकाल कर खेसरा–पंजी में दर्ज करते हैं।

लम्बाई (कड़ियों में) x चौड़ाई (कड़ियों में) = वर्ग कड़ी

वर्गकड़ी/1000 = डिसमिल।

$$\frac{\text{डेग x डेग x 16}}{1000} = \text{डिसमिल।}$$

उदाहरण– अगर किसी खेत की लम्बाई 150 कड़ी और चौड़ाई 55 कड़ी हो तो इसका क्षेत्रफल

150 x 55 = 8250 वर्गकड़ी /1000 =8 डि० होगा।

शेष 500 वर्गकड़ी से कम रहने पर छोड़ देगें तथा जहाँ शेष 500 वर्गकड़ी से अधिक हो वहाँ 1 डिसमिल जोड़ देना चाहिए।

स्मरणीय है यदि कोई फसल एक डिसमिल से अधिक क्षेत्र में लगी हो, तो उसका उल्लेख आवश्यक है।

5.6 फसल क्षेत्र सर्वेक्षण की समेकित विवरणी –कर्मचारी प्रत्येक मौसम में गांव का सर्वेक्षण पूरा होते ही खेसरा वही के प्रत्येक पृष्ठ पर फसल क्षेत्रफल सिंचित, असिंचित आदि का योग निकालतेहै और पंजी के अंत में पृष्ठ संख्या एक और उसके सामने उस मौसम की फसलों के क्षेत्रफल (सिंचित तथा असिंचित) अलग–अलग दर्ज किये जाते है। अन्त में पूरे गाँव के फसल क्षेत्रों के योगफल अंकित किये जाते है। इसी समेकित विवरणी(गोसवारा) के आधार पर मौसमी जिन्सवार तैयार किया जाता है।

सर्वप्रथम द्रुत सर्वेक्षण योजना अन्तर्गत चयनित ग्रामों का सर्वेक्षण किया जाता है तत्पश्चात शेष बचे ग्रामों का सर्वेक्षण किया जाता है।

द्रुत सर्वेक्षण सोजना का समय सारणी

क्र०सं०	मौसम	सर्वेक्षण की अवधि	पंचायत से अंचल/प्रखंड कार्यालय	अंचल/प्रखंड से जिला	जिला से निदेशालय
1	भदई	10–20 जुलाई	25 जुलाई	31 जुलाई	5 अगस्त
2.	अगहनी	20–30 सितम्बर	5 अक्टुबर	10 अक्टुबर	15 अक्टुबर
3.	रब्बी	10–20 जनवरी	25 जनवरी	31 जनवरी	5 फरवरी
4.	गर्मा	25 अप्रैल– 5 मई	10 मई	15 मई	20 मई

5.7 जिन्सवार– (1) भदई जिन्सवार(2) अगहनी जिन्सवार (3) रब्बी जिन्सवार (4) गरमा जिन्सवार

नोटः– जिन्सवार के साथ मौसम–सिंचित विवरणी, फसल बर्बादी एवं नेत्रांकन प्रतिवेदन अनिवार्य रुप से संलग्न किया जाना है।

फसल क्षेत्र सर्वेक्षण एवं जिन्सवार प्रेषण की समय–सारणी

क्र०सं०	**मौसम**	**सर्वेक्षण की अवधि**	**पंचायत से अंचल/प्रखंड कार्यालय**	**अंचल/प्रखंड से जिला**	**जिला से निदेशालय**
1	भदई	जुलाई–सितम्बर	5 सितम्बर	10 सितम्बर	20 सितंबर
2.	अगहनी	सितम्बर – नवम्बर	5 दिसम्बर	10 दिसम्बर	20 दिसम्बर
3.	रब्बी	जनवरी–मार्च	5 अप्रैल	10 अप्रैल	20 अप्रैल
4.	गर्मा	अप्रैल–मई	5 जून	10 जून	20 जून
5.	भूमि उपयोग विवरणी	अप्रैल–मई	20 जून	25 जून	30 जून
6.	शुद्ध सिंचित विवरणी	अप्रैल–मई	20 जून	25 जून	30 जून

6. **भूमि उपयोग सांख्यिकी:–** गरमा मौसम में जिन्सवार के अतिरिक्त खेसरा बही के अन्त में गाँव की भूमि उपयोग सांख्यिकी सिंचाई के स्त्रोत और उनसे क्षेत्र की समेकित विवरणी (गोसवारा) दी जाती है। पंजी के अन्तिम पृष्ठ पर पहले उसके हर पृष्ठ के समेकित आँकड़े लिखे जाते हैं और अन्त में इन सबों का योग, जो पूरे गाँव के आँकड़ों का योग होता है। उपयोग की दृष्टि से भूमि नौ मानक वर्गो में बांटी जाती है। खेसरा पंजी के स्तम्भ 25, 28 तथा 29 के आधार पर भूमि उपयोग के आंकड़े तैयार किये जाते हैं।

विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र की विवरणी खेसरा पंजी के स्तम्भ 5 और 27 के आधार पर तैयार की जाती है।

भुमि उपयोग विवरणी – भूमि उपयोग आँकड़े हेतु विहित प्रपत्र की व्यवस्था की गई है।

6.1 कुछ उपयोगी परिभाषाएँ नीचे दी गयी हैं–

प्रत्येक गाँव के भौगोलिक क्षेत्र को कृषि सांख्यिकी के दृष्टिकोण से नौ मानक (स्टैंडर्ड) वर्गो में बाँटा गया है, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

6.2. कृषिगत भूमि (कल्टिभेटेड एरिया) : कृषिगत भूमि की दो श्रेणियाँ हैं–

1. कृषिगत शुद्ध क्षेत्रफल(नेट एरिया सोन)– वह क्षेत्र जिसमें कृषि वर्ष के दौरान फसल बोई गई हो तथा फलोद्यान हों। एक वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र केवल एक बार ही गिना जाएगा।

2. चालू परती (करेन्ट फैलो)– ऐसी जमीन जो केवल चालू वर्ष में परती छोड़ी गयी हो।

6.3. खेती नहीं की गयी भूमि (नन–कल्टिभेंटेड एरिया): इसकी सात श्रेणियाँ है–

6.3.1. वन: किसी कानूनी अधिनियम के अनुसार वन जैसा प्रशासित या वर्गीत सरकारी या गैर–सरकारी जंगल वाले सभी क्षेत्र, चाहे उसमें जंगल हो या जंगल के लिए वह सम्भावित क्षेत्र हो।

भारत सरकार, कृषि एवं खाद्य मंत्रणालय के परिपत्र ए–फ 3–5/65 दिनांक 19 मार्च 1966 (कृषि सांख्यिकी प्रोन्नति समिति की सातवीं बैठक) के अनूसार वन क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी जमीन के किसी भाग को, जिसमें वस्तुत: जंगल न हो बल्कि जिस पर खेती की जाती हो, आबाद या गैर–आबाद के उपर्युक्त शीर्षक में न रखकर वन क्षेत्र में ही लिखा जाना चाहिए। पहले ऐसे क्षेत्रफल को आबाद या गैर–आबाद क्षेत्र में दिखाया जाता था किन्तु अब इसे वन के अन्दर ही दिखाना आवश्यक है।

6.3.2. ऊसर और कृषि के लिये अयोग्य भूमि (बैरन ऐन्ड नन–कल्टिभेटेड लैंड)– पहाड़ो, मरूभूमियों आदि जैसी सभी ऊसर और गैर–कृषि योग्य भूमि। ऐसी भूमि को भी कृषि के लिए अयोग्य भूमि गिना जायगा जिसे अत्यधिक व्यय किये बिना खेती के काम में नहीं लाया जा सकता हो।

6.3.3. गैर–कृषि कार्यो में लगाई गई भूमि (लैंड पुट टु नन–एग्रिकलचरल यूसेज)– ऐसी सभी जमीनें जिन पर मकान, सड़क और रेलवे हो या जो पानी में जैसे– नदियों और नहरों में पड़ती हों और गैर– कृषि कार्य में आने वाली अन्य सभी जमीनें। इस वर्गीकरण के दो भाग हैं– (क) स्थल क्षेत्र एवं(ख) जल क्षेत्र। जल क्षेत्र के अन्तर्गत भी दो भाग हैं–(i) स्थायी जल क्षेत्र एवं (ii) मौसमी जल क्षेत्र। मौसमी जल क्षेत्र उसे कहते हैं, जिस क्षेत्र में किसी वर्ष जल जमाव उस पूरे वर्ष में रहा हो, परन्तु बाद के वर्षो में उस क्षेत्र में जल जमाव समाप्त हो गया हो।

6.3.4. कृषि योग्य बंजर भूमि(कल्टीभेबुल वेस्ट लैंड): ऐसी सभी जमीनें जहाँ खेती की ही नहीं गई हो या खेती की गयी हो परन्तु चालू वर्ष तथा गत पाँच वर्षो में अथवा उससे अधिक वर्षो से निरंतर किसी कारण से खेती छोड़ दी गई हो किन्तु खेती योग्य हो।

6.3.5. स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि (परमानेन्ट पास्चर एण्ड अदर ग्रेजिंग लैंड): सभी गोचर भूमि चाहे वह स्थायी चारागाह और घास के मैदान हों या नहीं।

6.3.6.विविध वृक्ष, फसलें और गाछी जिन्हें शुद्व बोये गये क्षेत्र में नहीं रखा गया है (मिसलेनियस ट्रीज ऐण्ड क्रॉप्स नौट इनक्लूडेड इन नेट एरिया सोन): गैर-फलदार वृक्ष तथा झाड़ियों का क्षेत्र जिसकी गणना फलदार वृक्षों के साथ नहीं की गयी है जैसे-बांसवारी, पलासवन, कास जंगल, शीशम वृक्ष क्षेत्र आदि।

6.3.7. अन्य परती भूमि (अदर फैलो लैंड)- ऐसी सभी जमीनें जो एक वर्ष से अधिक और पाँच वर्षो से कम परती रही है।

भूमि उपयोग के इन नौ वर्गों की प्रविष्टि प्रपत्र के स्तम्भ 5 से 14 में की जाती है। स्तम्भ 12 में चालू परती का क्षेत्रफल लिखा जाता है। स्तम्भ 13 में स्तम्भ 5 से 12 तक के स्तंभो का योगफल लिखा जाता है। स्तम्भ 4 से स्तम्भ 13 घटाने पर जो शेष बचता है उसे स्तम्भ 14 में लिखा जाता है। स्तम्भ 14 क्षेत्रफल शुद्व बोए गये क्षेत्रफल के बराबर होगा। स्तम्भ 15 से 22 में भदई, अगहनी, रब्बी और गरमा-इन चारों मौसमों का कुल फसल क्षेत्रफल लिखा जाता है ये सूचनायें इन मौसमों के जिन्सवारों से प्राप्त होती है। स्तम्भ 23 में स्तम्भ 15 से स्तम्भ 22 तक का जोड़ लिखा जाता है। यह जोड़ सभी मौसमों के फसल वाले क्षेत्रफल का जोड़(ग्रौस क्रॉप्ड एरिया) होगा। स्तम्भ 24 में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल की सूचना दी जाती है। यह आँकड़ा स्तम्भ 23 से स्तम्भ 14 को घटाने से मिलता है।

भूमि उपयोग विवरणी कृषि वर्ष के अन्त में गरमा जिन्सवार विवरणी के साथ ही साथ संकलित की जाती है। स्मरणीय है कि जिन गाँवों का सर्वेक्षण चारों मौसमों में किया जायगा, उनकी ही भूमि उपयोग विवरणी बनायी जा सकेगी।

6.3.7.क. मौसमी सिंचित क्षेत्रफल विवरणी:

प्रत्येक कृषि मौसम में फसलवार एवं स्त्रोतवार कुल सिंचित क्षेत्रफल की सूचना खेसरा पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर संकलित की जाती है तथा पृष्ठवार जोड़ खेसरा पंजी के अन्तिम पृष्ठ पर उस विशेष मौसम का कुल सिंचित क्षेत्रफल का योगफल संकलित की जाती है। इसी योगफल के आधार पर मौसमी सिंचित क्षेत्रफल विवरणी संकलित की जाती है जो प्रत्येक मौसम के अन्त में जिन्सवार के साथ प्रेषित की जाती है। यह विवरणी प्रत्येक राजस्व गांव के लिए तैयार की जाती है, जिसके आधार पर पंचायत की, उसके बाद अंचल की, तत्पश्चात् पूरे जिले की मौसमी सिंचित क्षेत्रफल विवरणी तैयार की जाती है। इस विवरणी के मानक प्रपत्र में कुल 43 स्तम्भ हैं। स्तम्भ संख्या–1 में क्रमांक, स्तम्भ संख्या–2 में गाँव का नाम तथा थाना संख्या एवं स्तम्भ–3 में फसल विशेष का नाम सहित कुल क्षेत्रफल अंकित करना है। पुनः फसल विशेष के कुल क्षेत्रफल का वर्गीकरण खेसरा पंजी में संकलित योगफल विवरणी के आधार पर स्तम्भ– 5 से 41 तक के उपयुक्त स्तम्भों में संकलित किया जाता है। स्तम्भ–43 का कुल सिंचित क्षेत्रफल स्तम्भ–4 के कुल फसल क्षेत्र के तुल्य या उससे कम होगा। अभ्युक्ति स्तम्भ–44 का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। सिंचाई के अन्य साधनों के नाम का उल्लेख स्तम्भ–39 में अवश्य करना है।

6.3.7.ख. शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल विवरणी:

प्रत्येक मौसम के कुल (ग्रौस) सिंचित क्षेत्रफल की स्त्रोतशः सूचना उस मौसम के जिन्सवार के साथ एक अलग से मौसमी सिंचित क्षेत्रफल विवरणी के रूप में संकलित की जाती है, जो प्रत्येक मौसम की

जिन्सवार के साथ तत्संबंधी विवरणी के रूप में प्रेषित की जाती है। शुद्व सिंचित क्षेत्रफल प्रतिवेदन करने के लिए एक प्रपत्र विहित किया गया है। इस संबंध में खेसरा पंजी के स्तम्भ–5 का निर्देश करें जिसमें प्रत्येक प्लॉट के लिए सिंचाई के स्त्रोत के उल्लेख की व्यवस्था की गयी है। प्राथमिक प्रतिवेदन इस स्तम्भ को विशेष महत्त्व देते हैं और ध्यान रखते हैं कि यदि कोई प्लॉट सिंचित हो, तो इसके साधन का नाम स्तम्भ–5 में अनिवार्यतः लिखा जाता है। अगर सिंचाई के स्त्रोत विभिन्न मौसमों में अलग–अलग हों तो प्रत्येक मौसम में स्तम्भ–5 भरा जाना चाहिए। जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, यह संभव है कि एक ही प्लॉट विभिन्न मौसमो में विभिन्न स्त्रोतों से सिंचित हुआ हो। किसी स्त्रोत से यदि कोई प्लॉट एक या एक से अधिक मौसम में सिंचित हुआ हो तो उस स्त्रोत के लिए एक ही बार गिनती होती है। इस संबंध मे खेसरा पंजी के स्तम्भ–27 का निर्देश करें जिसमें प्रत्येक प्लॉट के लिए एक बार सिंचित क्षेत्रफल की सूचना लिखी जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि खेसरा पंजी के प्रत्येक पृष्ठ में स्तम्भ–27 का योग (विभिन्न साधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल) लिखा जाना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार लिखना चाहिए जिस प्रकार विभिन्न फसलों का योग प्रत्येक पृष्ठ पर संकलित किया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित स्त्रोतशः सिंचित क्षेत्रफल का योगफल संकलित किया जाता है। इसी स्तम्भ–27 के आधार पर शुद्व सिंचित क्षेत्रफल विवरणी संकलित की जाती है। जिन स्त्रोतों का उल्लेख इस विवरणी के प्रपत्र में किया गया है, उस सबों के द्वारा सिंचित क्षेत्रों की प्रविष्टि खेसरा पंजी में की जाती है।

7. खेसरा पंजी (स्तम्भ संख्या अनुसार) भरने के नियम :

1. **खेसरा**
2. **क्षेत्रफल**

इनमें गत वर्ष की खेसरा पंजी से गाँव की प्रत्येक खेसरा संख्या और उसके क्षेत्रफल हुबहू उतार लिये जाते हैं

3. रैयत का नामः लगान देने वाले रैयत का नाम पिता के नाम के साथ लिखा जाता है। भू–लेखा के क्षेत्रीय सत्यापन (फील्ड बुझारत) से यह सूचना प्राप्त हो सकती है। अगर एक प्लौट के अन्दर बहुतेरे छोटे–छोटे प्लॉट हो गये हों, तो उनमें से सबसे बड़े टुकड़े वाले रैयत का नाम अंकित कर उनके साथ–साथ ''वगैरह'' शब्द लिख दिया जाता है।

4. अनुसूचित जाति या अनूसूचित जनजातिः लगान देने वाले रैयत अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों तो उसका उल्लेख क्रमशः अ.ज. या अ.ज.जा. अंकित कर किया जाता है।

5. सिंचाई के स्त्रोत– इस बात की जानकारी बहुत आवश्यक है कि प्लौट की सिंचाई होती है या नहीं । यदि प्लॉट की सिंचाई होती हो तो खेसरा बही के स्तम्भ 5 में लिखना चाहिए कि सिंचाई के स्त्रोत क्या है। यथा(1) नहर–(क) वृहद (ख) मध्यम एवं (ग) लघु (2) तालाब–(क) निजी एवं (ख)सरकारी, (3)नलकूप (बिजली द्वारा)– (क) सरकारी एवं (ख) निजी, (4) नलकूल (डीजल द्वारा)–(क) सरकारी एवं (ख) निजी (5)अन्य कूप– (क) सरकारी (पक्का/कच्चा), एवं (ख) निजी (पक्का/कच्चा) (6)उद्वह भू–सिंचाई (लिफट् इरीगेशन)(क) सरकारी (वृहद/ मध्यम/लघु), एवं (ख) निजी लघु एवं (7) अन्य स्त्रोत (नाम के साथ)। प्रत्येक स्त्रोत की संख्या एवं इसके द्वारा की गई सिंचाई का क्षेत्रफल खेसरा पंजी में स्त्रोतवार अंकित की जाती है तथा सिंचित क्षेत्र विवरणी एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्र विवरणी में प्रतिवेदित किया जाता है। वर्षा के पानी से सिंचित क्षेत्र को सिंचित नहीं कहते हैं। जिन प्लौटों की सिंचाई नहीं होती हो, उनके लिए खाली जगह छोड़ दी जाती है। यह ध्यान रहे कि एक ही स्त्रोत से एक से अधिक प्लौटों की सिंचाई हो सकती है, ऐसी अवस्था में वैसे सभी प्लौटों के सामने उस स्त्रोत का नाम लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी प्लाट की सिंचाई एक से अधिक मौसम में एक ही स्त्रोत से हो तो स्तम्भ–5 में

दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि दूसरे मौसम में सिंचाई का स्त्रोत दूसरा हो तो स्तम्भ–5 में दूसरे स्त्रोत की प्रविष्टि पहले स्त्रोत के नीचे अवश्य होनी चाहिए। खेसरा पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर सिंचाई क्षेत्र के स्त्रोत, उनकी संख्या तथा उपरोक्त प्रत्येक स्त्रोत से सिंचित मौसमवार क्षेत्रफल का योग इत्यादि पृथक–पृथक स्त्रोतवार रहना चाहिए।

6. **फसल का नाम**–यह भदई फसलों के लिए हैं।

7. **सिंचित क्षेत्रफल**– इस स्तम्भ में प्लौट विशेष में भदई मौसम में पाई गई फसल का वह क्षेत्रफल लिखा जाता है, जिस क्षेत्रफल की सिंचाई की गई हो।

8. **असिंचित क्षेत्रफल**– इस स्तम्भ में प्लौट विशेष में भदई मौसम में पाई गई फसल का वह क्षेत्रफल लिखा जाता है, जिस क्षेत्रफल की सिंचाई नहीं की गई हो।

9. **फसल का नाम**– इसमे अगहनी फसलों के नाम लिखे जाते है।

10. **सिंचित**–इस स्तम्भ में अगहनी मौसम में सिंचित फसलों के क्षेत्रफल लिखे जाते हैं।

11. **असिंचित**–इस स्तम्भ में अगहनी मौसम में असिंचित क्षेत्रफल की सूचना भरी जाती है।

12. **फसल का नाम**– यह रब्बी फसलों के लिये है।

13. **सिंचित क्षेत्रफल**– इस स्तम्भ में सिंचित रब्बी फसल का क्षेत्रफल भरा जाता है।

14. **असिंचित क्षेत्रफल**– इस स्तम्भ में असिंचित रब्बी फसल का क्षेत्रफल भरा जाता है।

15. **फसल का नाम**–यह गरमा मौसम की फसलों के लिये है।

16. **सिंचित क्षेत्रफल**–इस स्तम्भ में सिंचित गरमा फसल का क्षेत्रफल लिखा जाता है।

17. **असिंचित क्षेत्रफल**– असिंचित गरमा फसल का क्षेत्रफल भरा जाता है।

18. **बाग वगैरह किस्म फल**– इस स्तम्भ में पेड़ों में लगने वाले फलों के नाम दिये जाते हैं। स्मरण रहे कि बाग शब्द लिखने का यह तात्पर्य नहीं है कि पेड़ जब बाग या बगीचे में हो, तभी उसकी प्रविष्टि हो– किसी भी प्लौट के किसी भी पेड़ का उल्लेख अपेक्षित है।

    अगर बगीचे में फसल बोयी गई है तो सम्बन्धित मौसम में उस फसल की प्रविष्टि की जाय और बाग की प्रविष्टि खेसरा के बाग से संबंधित स्तम्भ में कर दी जाय। पूर्ण क्षेत्र में खेती न होने से आनुपातिक क्षेत्रफल लिखा जाय।

19. **सिंचित पेड़ों की संख्या** (वैसे फलदार वृक्ष जिसमे फल की अपेक्षा हो)।

20. सिंचित पेड़ो के अन्तर्गत क्षेत्रफल।

21. असिंचित पेड़ो की संख्या।

22. असिंचित पेड़ो के अन्तर्गत क्षेत्रफल।

23. कुल फसलों का क्षेत्रफल (सिंचित)– स्तम्भ (23)– इसमें चारों मौसमों में फसल वाले सिंचित क्षेत्रफल का योग लिखा जाता है स्तम्भ (7), (10), (13),(16) एवं (20) क्षेत्रफल का योग स्तम्भ (23) में प्रविष्टि क्षेत्रफल के बराबर होगा।

24. कुल असिंचित क्षेत्रफल–इसमें चारों मौसमों के फसल वाले असिंचित क्षेत्रफल का योग लिखा जाता है।स्तम्भ(8),(11),(14),(17),एवं (22)

में प्रविष्ट क्षेत्रफल का योग स्तम्भ (24) में प्रविष्ट क्षेत्रफल के बराबर होगा।

25. **कुल क्षेत्रफल**– इसमें स्तम्भ (23) तथा (24) का योग लिखा जाता है। इस योग से चारों मौसमों में कुल फसल के क्षेत्रफल की सूचना मिलती है।

26. **एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र**– चारों मौसमों में फसल वाले क्षेत्रफल के योग का कितना भाग प्लौट के क्षेत्रफल से अधिक होता है, उसे इस स्तम्भ में लिखा जाता है, अर्थात स्तम्भ (25) का क्षेत्रफल यदि स्तम्भ (2) के क्षेत्रफल से अधिक हुआ तो स्तम्भ (24) के क्षेत्रफल से स्तम्भ (2) के क्षेत्रफल को घटाने पर जो क्षेत्रफल मिलेगा, वही एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल होगा और उसे ही स्तम्भ (26) में लिखा जायगा।यदि किसी प्लौट का कोई हिस्सा स्थायी कृषि–इतर क्षेत्र यथा घर, तालाब, कुआँ, वन, ऊसर आदि हो तो उनके क्षेत्रफल को प्लौट के क्षेत्रफल से पहले ही घटा लेना चाहिए।

27. **एक बार सिंचित क्षेत्र**– यदि स्तम्भ(23) में दिया गया कुल सिंचित क्षेत्रफल स्तम्भ(2) में दिये गये प्लौट के क्षेत्रफल से अधिक हो तो प्लौट का कुल क्षेत्रफल ही स्तम्भ 27 में लिखा जाएगा। परंतु यदि स्तम्भ 23 में अंकित क्षेत्रफल कम हो तो कम वाला क्षेत्रफल अर्थात स्तम्भ 23 का क्षेत्रफल ही स्तम्भ 27 में लिखा जाएगा।

28. **गैर–आबाद किस्म जमीन**– गरमा मौसम में फसल सर्वेक्षण के अतिरिक्त भूमि उपयोगिता संबंधी आँकड़े भी भरना पड़ता है। उपयोग की दृष्टि से भूमि को नौ मानक वर्गो में बाँटा गया है। इस स्तम्भ में शुद्व बोये गये क्षेत्र को छोड़कर बचे हुए आठ किस्म की प्रविष्टि होनी है।

29. **गैर आबाद क्षेत्रफल**–स्तम्भ (28) में क्षेत्र का वर्गीकरण लिखा जाता है और इस स्तम्भ में उसके क्षेत्रफल।

30. ***अभ्युक्तिः–*** इसे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है । सिंचाई के अन्य साधनों के नाम का उल्लेख इसमें किया जा सकता है। नेत्रांकन का आँकड़ा एकत्र करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है।

फसल क्षेत्र सर्वेक्षण के आँकड़ों की जाँच के लिए सुयुक्ति पर्यवेक्षण की जाती है।